



2026: AHC: 29600

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - **5101** वर्ष **2026**

श्रीमती विदुषी जैन एवं 4 अन्ययाचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्यप्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: अक्षय प्रताप, चंदन शर्मा

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
2. यहाँ पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित आदेश के आलोक में, निजी प्रतिवादी को नोटिस भेजने और इस याचिका का इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हालांकि, यदि निजी प्रतिवादी आदेश से व्यथित महसूस करता/करती है, तो आदेश के संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उसका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मूल राहत, प्रतिवादी संख्या-3/उप जिलाधिकारी, सदर मेरठ को याचिकाकर्ता संख्या-5/विजय कुमार जैन द्वारा दायर आवेदन संख्या-T802024063076 को शीघ्रता से तय करने का निर्देश देना है।
4. मामला काफी समय से निचली अदालत के समक्ष लंबित है और काफी समय बीत चुका है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, वर्तमान याचिका को प्रतिवादी संख्या-3/उप जिलाधिकारी, सदर मेरठ को उपरोक्त आवेदन को कानून के अनुसार सख्ती से, अति शीघ्र और अधिमानतः निचली अदालत के समक्ष प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर तय करने का निर्देश देते हुए निस्तारित किया जाता है, परंतु जब तक कोई कानूनी बाधा न हो, अनावश्यक स्थगन दिए बिना।
6. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने गुण-दोष के आधार पर मामले का न्यायनिर्णयन नहीं किया है।

फरवरी 10, 2026

सकलैन

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"